

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/4052
दिनांक : 17/01/2026

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त महाविद्यालय/संस्थान,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. विभागाध्यक्ष, समन्वयक, निदेशक,
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर,
मेरठ।

विषय:- शैक्षणिक संस्थानों में (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के संदर्भ में।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक डिग्री विकास/2732-34 दिनांक: 14.01.2026 का संदर्भ ग्रहण करे, जो कि विश्वविद्यालयों में साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के संदर्भ में है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ0शि0) शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, प्रयागराज के संलग्न पत्र में उल्लिखित आदेशों/निर्देशों का अनुपालन करते हुये शासन की ई0 मेल आई0डी0 dhedegreevikas@gmail.com पर प्रेषित करना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,


17.1.26
कुलसचिव


प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. छात्र कल्याण अधिष्ठाता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
04. प्रभारी वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

/
कुलसचिव

प्रेषक,

ई-मेल/तत्काल

शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
प्रयागराज।

सेवा में,

1. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:- डिग्री विकास/ 2732-34

/2025 - 26

दिनांक - 14/01/2026

विषय - शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या 572/सी०ई०ओ० - 6 - 33/6 -

- 2013 दिनांक 17 दिसम्बर, 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy Clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने एवं विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम - 2026 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने अर्हता तिथि 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो अथवा पूर्ण करने वाले हैं का पंजीकरण कराये जाने के लिए प्रस्तरवार निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के सम्बन्ध में आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि उपरोक्त संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को इस कार्यालय की ई-मेल आई०डी० dhedegreevikas@gmail.com पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

डॉ० (राशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या - डिग्री विकास/ 2732-34

/उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

1. कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, चतुर्थ तल विकास भवन, जनपद मार्केट, लखनऊ - 226001।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग - 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

डॉ० (राशि कपूर)

संयुक्त शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
कृते शिक्षा निदेशक (उ०शि०),
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

o/c

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट लखनऊ-226001

संख्या-542/सीओओ-6-33/6-2013

लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

✓ 1-निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

(101)

2-निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश।

विषय:

शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy clubs) को सक्रिय किये जाने एवं शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत अर्ह छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराये जाने हेतु नोडल अधिकारी बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अवगत कराना है कि विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 गतिमान है। आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गणना प्रपत्र भरे जाने एवं जमा किये जाने की अन्तिम तिथि 26 दिसम्बर, 2025 है तथा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 31.12.2025 को किया जायेगा। दिनांक 31.12.2025 से 30.01.2026 तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जायेंगी।

2- विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने अर्हता तिथि 01.01.2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो अथवा पूर्ण करने वाले हैं का पंजीकरण कराये जाने के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1- स्वीप योजना के अन्तर्गत मतदाता साक्षरता (Electoral Literacy) के लिए जनपद स्तर पर शैक्षणिक संस्थाओं (स्कूल/कालेज/विश्वविद्यालयों) में मतदाता साक्षरता क्लब (Electoral Literacy clubs) गठित हैं। जिन शैक्षणिक संस्थाओं में मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) गठित नहीं है वहाँ मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) का गठन कर लिया जाय।

2- मतदाता साक्षरता क्लब गठन (ELC) किये जाने का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने अर्हक तिथि को अपनी 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है अथवा पूर्ण करने वाले हैं, का शतप्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित कराना एवं उनको निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराना है। कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसर (University Campus) में स्थापित मतदाता साक्षरता क्लब (ELC) द्वारा छात्र/छात्राओं को मतदाता साक्षरता का व्यवहारिक अनुभव भी उपलब्ध कराया जाना है।

शैक्षणिक संस्थान में कार्यरत ऐसे शिक्षक विशेषकर जिन्हें निर्वाचन प्रक्रिया का अनुभव है, उन्हें नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा (राजनीति विज्ञान विभाग के शिक्षक को वरीयता दी जाय)।

4- प्रत्येक कक्षा से एक छात्र/छात्रा को मतदाता साक्षरता क्लब की कार्यकारी समिति (Executive Committee) का सदस्य बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त उन्हीं में से किसी एक छात्र/छात्रा को कैंपस एंबेसडर नामित किया जायेगा, जो नोडल अधिकारी का सहयोग करेंगे।

5- मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का चिन्हीकरण किया जाय।

6- सभी पात्र छात्र/छात्राओं को मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए निर्धारित फार्म-6 ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भरे जाने की जानकारी दी जाय।

- 7- शैक्षणिक संस्थाओं के अर्ह मतदाताओं को ऑनलाइन पोर्टल <https://voters.eci.gov.in> के माध्यम से मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाय।
- 8- उक्त गतिविधियों में एन0एस0एस0, नेहरू युवा संगठन तथा भारत स्काउट एण्ड गाइड का भी सहयोग लिया जाय।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने अधीनस्थ प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु समस्त संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या- 578(1)/सीईओ-6 तददिनाक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 2-प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
- 3-समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि जनपद के स्वीप नोडल अधिकारी, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी तथा जिला विद्यालय निरीक्षक को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 4-स्टेट को-ऑर्डिनेटर, एन0एस0एस0, उ0प्र0 शासन को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 5-प्रादेशिक सचिव, भारत स्काउट एण्ड गाइड, उ0प्र0 गोल मार्केट, महानगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- 6-जोनल निदेशक, नेहरू युवा संगठन, 2/62एम, विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त संबंधित को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ-226001

संख्या-1818/सी0ई0ओ0-4-35/4-2025 लखनऊ : दिनांक: 30 दिसम्बर, 2025
सेवा में,समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।विषय: अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक
नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-संशोधित समय-सारिणी।

महोदया/महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया पार्श्व में उल्लिखित इस कार्यालय के पत्रों का संदर्भ

1. पत्र संख्या-1234/सी0ई0ओ0-4-35/4-2025 दिनांक 27.10.2025 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/2025-ERS (Vol.II) दिनांक 27.10.2025
2. पत्र संख्या-1549/सी0ई0ओ0-4-35/4-2025 दिनांक 30.11.2025 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/2025-ERS (Vol.II) दिनांक 30.11.2025
3. पत्र संख्या-1685/सी0ई0ओ0-4-35/4-2025 दिनांक 11.12.2025 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/2025-ERS (Vol.II) दिनांक 11.12.2025

ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संबंधित आयोग के दिशा-निर्देश एवं

समय-सारिणी प्रेषित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या-23/ERS/2025 दिनांक 30.12.2025 द्वारा सम्प्रति चल रहे अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया है। आयोग द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

Sr. No.	Activities	Revised Schedule
1	Publication of Draft Electoral Roll	06.01.2026 (Tuesday)
2	Period for filing claims & objections	06.01.2026 (Tuesday) to 06.02.2026 (Friday)
3	Notice Phase (issuance, hearing & verification) decision on Enumeration Forms and disposal of claims and objections to be done concurrently by the EROs	06.01.2026 (Tuesday) to 27.02.2026 (Friday)
4	Checking of health parameters and obtaining Commission's permission for Final Publication	By 03.03.2026 (Tuesday)
5	Final Publication	06.03.2026 (Friday)

3- अवगत हैं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.10.2025 के माध्यम से यह निर्देश दिए गए हैं कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में निर्वाचक नामावलियों की तैयारियों से सम्बद्ध अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कोई

पद रिक्त न हो यह सुनिश्चित किया जाना है तथा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यवाहियों से सम्बद्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण भारत निर्वाचन आयोग के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की उपरोक्तानुसार तिथियों में संशोधन करते हुए नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन दिनांक 06.03.2026 नियत किया गया है।

अतः कृपया आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या:1818(1)/सी0ई0ओ0-4 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

2/6

Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No. 23/ERS/2025

Dated: 30th December, 2025

To,

The Chief Electoral Officer
Uttar Pradesh
Lucknow

Sub: Special Intensive Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2026 as
qualifying date in the State of Uttar Pradesh-reg

Sir,

I am directed to refer to the representations dated 16.12.2025 received from Sh. Tanuj Punia and Sh. Mohd. Shadab Ali in light of Hon'ble Supreme Court order dated 09.12.2025 and 18.12.2025 in WP(c) no 1129/2025 and WP(c) no 1172/2025 respectively and your letter no 1808/CEO/4-35/4-2025 dated 29.12.2025 and to forward herewith Commission's Order dated 30th December, 2025 on the subject cited above for your information and necessary action.

Yours Sincerely

Sandeep Kumar
(Sandeep Kumar)
Under Secretary

Copy to: Chief Secretary, Uttar Pradesh

Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

Dated: 30th December, 2025

No. 23/ERS/2025

ORDER

Sub: Special Intensive Revision of Electoral Rolls w.r.t. 01.01.2026 as
qualifying date in the State of Uttar Pradesh-reg

1. Whereas, vide the Commission's Order No. 23/2025-ERS (Vol.II) dated 24.08.2025 the Commission, in exercise of its powers under Article 324 of the Constitution of India, 1950; Section 21 along with other applicable provisions of the Representation of the People Act, 1950 (the "RPA 1950"), has ordered the Special Intensive Revision (SIR) in all the States/UTs starting from Bihar. (Annexure B);

2. Whereas, further the Commission vide letter No. 23/2025-ERS (Vol.II) dated 27.10.2025 has issued the schedule of SIR for 12 States/UTs namely A&N, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal w.r.t. 01.01.2026, as the qualifying date. In Uttar Pradesh, the Commission extended the original schedule of the Special Intensive Revision twice, first by a week vide its letter no 23/2025 (Vol-II) dated 30.11.2025 and again by two weeks vide letter of even no. dated 11.12.2025.

3. Whereas, the Hon'ble Supreme Court, vide its order dated 09.12.2025 WP (c) Nos. 1129/2025, 1172/2025, and other connected matters has observed:

"Having regard to the nature of relief sought in the instant petition (WP (c) Nos. 1129/2025 and 1172/2025), the petitioner is permitted to submit a comprehensive representation to the Election Commission of India, which may be promptly considered, preferably within two weeks from the date it is received".

4. Whereas, in light of above order, representations dated 16.12.2025 from Sh. Tanuj Punia (WP(c) no 1129/2025 and Sh. Mohd. Shadab Ali (WP(c) no 1172/2025) have been received in the Commission.

5. Whereas, Sh. Tanuj Punia, vide his said representation has requested to implement the specific and urgent remedial measures to address the alleged failures and ambiguities arising from the SIR exercise, including the risk of wrongful exclusion, inconsistent revision, and erosion of electoral roll integrity.

4/6

3/6

6. Whereas, Sh. Mohd. Shadab Ali, President, Bharatiya Kisan Union Aized Trust vide his said representation has requested to extend the timeline of the ongoing Special Intensive Revision process by at least two to three months, along with launch of intensive awareness campaigns, set up of special help desks/camps in every Gram Panchayat, provide free doorstep assistance to illiterate, women and elderly voters and ensure acknowledgement receipts are issued on every form submission.

7. Whereas, the Hon'ble Supreme Court, again vide its order dated 18.12.2025 WP (C) Nos 1129/2025 and other connected matters has observed:

"the petitioners are permitted to submit the representation(s) to the Election Commission of India, who, in turn, is directed to consider such representation(s) sympathetically, keeping in view the ground realities and all the relevant factors that may be highlighted in the representation(s). The appropriate decision shall be taken by the Election Commission of India by 31.12.2025".

8. Whereas, the Commission while considering these representations has taken note of the following ground realities:

- SIR Schedule has already been revised twice for Uttar Pradesh and extended the enumeration phase by three weeks vide its order dated 30th November, 2025 and 5th December, 2025. In addition to the 30 days given initially.
- As per the report, about 12.54 crore out of 15.44 crore electors' enumeration forms have been received back in Uttar Pradesh.
- As per the report, all remaining enumeration forms have also been accounted for due to electors' absence/stillbirth/death or having names at multiple places.
- After publication of draft electoral rolls, any person who could not find their name in the draft electoral roll will get a chance to submit their claims in Form-6 along with the prescribed Declaration Form during the Claims & Objection period from 31st December, 2025 to 30th January, 2026.
- Booth-wise lists of such electors whose names will not be included in the Draft Roll, shall also be displayed on the Notice Board of respective Panchayat Bhavan/Urban local body office and Offices of the Block Development Officer/Panchayat Officers/Urban Local body officers to enable the general public to have access to the aforesaid voters lists along with the probable reasons for non-inclusion of their names. CEOs to consolidate and put these lists on CEO's website in an accessible format.
- Polling station wise meetings have been held between Booth Level Officer (BLO) and Booth Level Agents (BLA), appointed by the political parties, in which BLOs have shared with BLAs names and details of electors whose enumeration forms have not come back.
- SIR guidelines have permitted BLAs to collect such Form-6 along with the prescribed Declaration Form and submit them to BLOs for further necessary action.
- A period from 31st December, 2025 to 21st February, 2026 has been earmarked for disposing claims and objections and issuance of suo-moto notices to be issued by the EROs.

5/6

9. Whereas, the Commission, after careful consideration on aforementioned representations of Sh. Tanuj Punia and Sh. Mohd. Shadab Ali and taking into account the prevailing ground realities and the facilitation & transparency measures being observed, does not find it appropriate to take any further action on these representations.

10. Whereas, in the meantime, CEO, Uttar Pradesh vide letter dated 29.12.2025 has requested to re-schedule the draft publication of polling stations before serialisation of electors and subsequent rationalisation of the State.

11. After careful consideration of request of CEO, Uttar Pradesh, other representations, the prevailing ground realities and other relevant factors, the Commission, has decided to revise the SIR Schedule for the State of Uttar Pradesh by extending the relevant dates as per the schedule given below:

Revised Schedule		
Sr. No.	Activities	
1.	Publication of Draft Electoral Roll	06.01.2026 (Tuesday)
2.	Period for filing claims & objections	06.01.2026 (Tuesday) to 06.02.2026 (Friday)
3.	Notice Phase (issuance, hearing and verification) decision on Enumeration Forms and disposal of claims and objections to be done concurrently by the EROs	06.01.2026 (Tuesday) to 27.02.2026 (Friday)
4.	Checking of health parameters and obtaining the Commission's permission for Final Publication	By 03.03.2026 (Tuesday)
5.	Final Publication	06.03.2026 (Friday)

By Order
Election Commission of India

A Sanjay Kumar
Deputy Election Commissioner

6/6

**ई-मेल/सीडीपोस्ट/महत्वपूर्ण
कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।**

घातुर्ग तल, विकास भवन, जनपथ मार्केट, हजरतगंज, लखनऊ-228001
संख्या-1549/सीडीओ-4-35/4-2025 लखनऊ : दिनांक: 30 नवंबर, 2025
सेवा में,

समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषय: अर्हा तिथि 01.01.2028 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-संशोधित समय-सारिणी।

महोदय/महोदय,

उपरोक्त विषय पर कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या-1234/सीडीओ-4-35/4-2025, दिनांक 27.10.2025 के साथ संलग्न भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-23/2025-ERS (Vol.II) दिनांक 27.10.2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से अर्हा तिथि 01.01.2028 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से संशोधित समय-सारिणी प्रेषित की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग ने अपने पत्र संख्या-23/2025-ERS (Vol.II) दिनांक 30.11.2025 द्वारा समिति चल रहे अर्हा तिथि 01.01.2028 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रम की तिथियों को संशोधित कर दिया है। आयोग द्वारा घोषित संशोधित कार्यक्रम निम्नानुसार है:-

Sr.No.	Activities	Schedule
1	Enumeration Period	By 11.12.2025 (Thursday)
2	Rationalization/Re-arrangement of Polling Stations	By 11.12.2025 (Thursday)
3	Update of Control Table and Preparation of draft roll	12.12.2025 (Friday) to 15.12.2025 (Monday)
4	Publication of draft electoral roll	On 16.12.2025 (Tuesday)
5	Period for filing claims & objections	16.12.2025 (Tuesday) to 15.01.2026 (Thursday)
6	Notice Phase (issuance, hearing & verification); decision on Enumeration Forms and disposal of claims and objections to be done concurrently by the EROs	16.12.2025 (Tuesday) to 07.02.2026 (Saturday)
7	Checking of health parameters of electoral rolls and obtaining Commission's permission for final publication.	By 10.02.2026 (Tuesday)
8	Final Publication of Electoral Roll	On 14.02.2026 (Saturday)

-2-

अवगत है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 27.10.2025 के माध्यम से यह निर्देश दिए गए हैं कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की अवधि में निर्वाचक नामावलियों की तैयारियों से सम्बद्ध अधिकारियों यथा-जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कोई पद रिक्त न हो यह सुनिश्चित किया जाना है तथा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण की कार्यवाहियों से सम्बद्ध अधिकारियों का स्थानान्तरण भारत निर्वाचन आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम की उपरोक्तानुसार तिथियों में संशोधन करते हुए नामावलियों का अंतिम प्रकाशन दिनांक 14.02.2026 नियत किया गया है।

अतः कृपया आयोग के संलग्न दिशा-निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों तथा सभी सम्बन्धित के संज्ञान में लाते हुए इनका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यद्योपरि।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

संख्या:1549(1)/सीडीओ-4 तददिनांक-

प्रतिनिधि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिकारी/अनुभाग, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रा0100, लखनऊ।

(चन्द्रशेखर)

अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी

30.11.25

2/4

1/4

11

Election Commission of India
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

No.23/2025-ERS (Vol.II) Dated: 30th November, 2025

To,

The Chief Electoral Officers,
(A&NI, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Lakshadweep, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal)

Sub: SIR of Electoral Roll w.r.t 01.01.2026 as the qualifying date - Revised Schedule.

Sir/Madam,

I am directed to refer to the Commission's Order No. 23/2025-ERS (Vol.II) dated 27.10.2025 wherein the Commission has ordered Special Intensive Revision (SIR) in the above-mentioned 12 States/UTs. In supersession of the previous order, the Commission has decided to revise the Schedule of ongoing Special Intensive Revision as below:

Sr No	Activities	Schedule
1	Enumeration Period	By 11.12.2025 (Thursday)
2	Rationalization/Re-arrangement of Polling Stations	By 11.12.2025 (Thursday)
3	Updation of Control Table and Preparation of draft roll	12.12.2025 (Friday) to 15.12.2025 (Monday)
4	Publication of draft electoral roll	On 16.12.2025 (Tuesday)
5	Period for filing claims & objections	16.12.2025 (Tuesday) to 15.01.2026 (Thursday)
6	Notice Phase (issuance, hearing & verification); decision on Enumeration Forms and disposal of claims and objections to be done concurrently by the EROs	16.12.2025 (Tuesday) to 07.02.2026 (Saturday)

Page 1 of 3

3/4

7	Checking of health parameters of electoral rolls and obtaining Commissioner's permission for final publication.	By 10.02.2026 (Tuesday)
8	Final Publication of Electoral Roll	On 14.02.2026 (Saturday)

The above shall be brought to notice of all concerned.

Pawan Dwani
(Pawan Dwani)
Secretary

Copy to:

- Chief Secretaries to the Governments of Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Puducherry, Rajasthan, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, West Bengal,
- Chief Secretary to the Administration of A&NI,
- Advisor to the Administrator of Lakshadweep,
- CEOs of all States/UTs
- Internal circulation (as per the standard list of circulation)

4/4

Page 2 of 3

4/4

प्रेषक,

नवदीप रिणवा,
मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासना

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 31 दिसम्बर, 2025

विषय: निर्वाचन संबंधी इष्टी पर तैनात कर्मियों को पारिश्रमिक तथा टीएपीडीएपी के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-572/सी040303-3672-95, दिनांक 04 सितम्बर, 2025 एवं पत्र संख्या-558/सी040303-3672-95, दिनांक 13 अक्टूबर, 2025 का कृपया संदर्भ धारण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में निर्वाचन अनुभाग के शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25.10.2023 के परन्त-4 के बिन्दु संख्या-C में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

अतः इस सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-464/INS/EP/2025/Remuneration & TA/DA, दिनांक 08-08-2025 में दिये गये निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासनादेश संख्या-492/61-2023, दिनांक 25-10-2023 के परन्त-4 के बिन्दु संख्या-C में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्रेय उच्चपात महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

C-पारिश्रमिक की दरें

निर्वाचन संबंधी कर्तव्यों के लिए तैनात सभी निर्वाचन कर्मचारियों के पारिश्रमिक और टीएपीडीए की सीजूदा दरें जो क्रमशः उनके लिए लागू हैं, वे निम्नानुसार की जा रही हैं-

पारिश्रमिक	
अधिकारियों/कर्मचारियों का पदनाम	पारिश्रमिक की न्यूनतम दर (रुपये में)
जीनत मजिस्ट्रेट (यदि सेक्टर आफिसर के रूप में कार्य करते हैं)	रुपये 1500/- एकमुश्त (Lump Sum)
अतिरिक्त तैनात किया गया है)	रुपये 500/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा
पोस्टमैन अधिकारी और मतगणना पर्यवेक्षक	रुपये 2000/- एकमुश्त (Lump Sum)
मतदान अधिकारी	रुपये 400/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा

1/3

संख्या-561/61-2025

मतगणना सहायक	रुपये 1600/- एकमुश्त (Lump Sum)
	रुपये 450/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा
	रुपये 1350/- एकमुश्त (Lump Sum)
ई-वीएस की कमीशनिंग, मतदान पार्टियों के मेजबान तथा मतदान सामग्री एवं मतगणना आदि में लगाये गये घटुर्ष श्रेणी कर्मिक	रुपये 350/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए अथवा
	रुपये 1400/- एकमुश्त (Lump Sum)
काल सेंट्रल/कन्ट्रोलूम में लगाये गये घटुर्ष श्रेणी कर्मिक	रुपये 1000/- एकमुश्त (Lump Sum)
वीडियो सर्विलांस टीम, मोडियो निगरानी टीम, एकाउंटिंग टीम, कन्ट्रोल रूम और कालसेन्टर स्टाफ, मोडिया सर्विलांस एन्ड मनीटोरिंग कमेटी, फ्लॉयड स्क्वायड्स, स्टैटिक सर्विलांस टीम, एक्सप्रेसिवर मनीटोरिंग सेल	रुपये 3000/- एकमुश्त (Lump Sum)
	रुपये 2000/- एकमुश्त (Lump Sum)

भोजन / नारता	
सभी मतदान केंद्रों/मतगणना केंद्रों पर निर्वाचन संबंधी कार्यों के लिये तैनात किये गये पुलिस कर्मिकों सहित मतदान कर्मिक, मोबाइल पार्टियों के कर्मिक, होमगार्ड्स, वन रक्षक, ग्राम रक्षक दल, एनसीसी केडेट्स, भूतपूर्व कर्मिक, स्वयंसेवक आदि हेतु पैकड लंच और नारता।	पैकड लंच और नारता या रुपये 500/- प्रतिदिन अथवा उसके भाग के लिए

टीएपीडीए	
समाविष्टी की श्रेणी	दर
निर्वाचन संबंधी इष्टी के लिए तैनात व्यक्तियों हेतु	100% टीएपीडीए विधि-1 टीएपीडीए का 100% या तो निर्वाचन इष्टी पूरी होने के 24 घंटे के भीतर या अग्रिम। विधि-2 टीएपीडीए का 80% अग्रिम और 20% निर्वाचन पूरा होने के 30 दिनों के भीतर।

2/3

1069
13/11/25